सत्र प्रकरण क्रमांक– 10/2026 शासन –प्रति– केवल सिंह

II - 157
C.J.

Witness No. 06 For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the 24–06–2026 Day of **बुधवार** Witness Appatent Age 41 Year's States On Affirmation **शपथ-पूर्वक** My Name is **नहर सिंह** S./W./D. of **भोलई सिंह** Occupation **कृषि**

Address :- **ग्राम-सलका, थाना-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)**

समयः **01.15 PM**

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं, आरोपी को विडियो कांफ्रेसिंग से जोडकर उनकी उपस्थिति में मुख्य परीक्षण आरंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री गोविंद सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजनः–

01. मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी केवल सिंह को जानता पहचानता हूँ। वह मेरा दामाद है तथा मृतिका रनिया बाई मेरी भतीजी लगती थी।

02. मैं ग्राम सलका का निवासी हू । मुझे 06–07 माह पूर्व ग्राम लांछा के सरपंच के पति अंचभित ने फोन करके बताया था कि आप लांछा आपके भतीजी रनिया बाई के यहां आ जाईये आपकी भतीजी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बादे हम लोग लांछा अपने भतीजी के यहां गये थे । मैं घटना स्थल गया तो देखा कि रनिया बाई मृत पडी थी और कपडे से ढक दिये थे । मैं कपडा खोलकर देखा तो रनिया बाई के शरीर में, और सिर, चेहरे , हाथ–पैर, में चोट के निशान थे । हम लोग लाछा के सरपंच अंचभित, आरोपी केवल साय गांव के अन्य लोग के साथ थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराये थे। पुलिस वाले घटना के सबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध किये थे ।

टीपः– इसी स्तर पर अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि साक्षी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रही है इसलिये साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर क्रूट परीक्षण करने की अनुमति चाही अभिलेख के परिशीलन पश्चात् अनुमति दी गई ।

सत्र प्रकरण क्रमांक– 10/2026 शासन –प्रति– केवल सिंह

03. यह कहना सही है कि मैंने अपने दामाद केवल सिंह से पूछा था कि कैसे हुआ तब वह बताया कि रनिया बाई को शराब पीने से मना कर रहा था लेकिन नहीं मान रही थी इसी बात को लेकर विवाद हो गया तो मैंने मच्छरदानी डंडा से हाथ–पैर, पीठ, कमर से मारपीट किया हू जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सी० एल० विश्वकर्मा (LADC) अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तः–</u>

04. यह कहना सही है कि घटना दिनांक को पुलिस थाना मैं गया था तब पुलिस वाले मेरा बयान लेखबद्ध किये थे । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले घटना के तीन माह बाद मैं थाना गया था उसी समय मेरा बयान लेखबद्ध किये थे । यह कहना सही है कि मेरे दामाद–भतीजी का विवाह हुये लगभग 25 साल हो गया है । यह कहना सही है कि उनके दांपत्य से तीन संतानें है ।

05. यह कहना सही है कि मेरी भतीजी रनिया सिंह शराब का सेवन करती थी । स्वत कहा कि आरोपी भी शराब पीता था । यह कहना सही है कि शराब पीने के वजह से आरोपी एवं मृतिका के बीच विवाद होता था । यह कहना सही है कि घटना दिनांक के पूर्व आरोपी एवं मृतिका का कोई विवाद नहीं था वो दोनों प्रेमपूर्वक एक साथ रहते थे । यह कहना सही है कि आरोपी एवं मृतिका मेरे यहां एक साथ प्रेमपूर्वक आते जाते थे । यह कहना सही है कि आरोपी एवं मृतक जब शराब पीते थे तो अपना मानसिक, होश खो देते थे और लडाई–झगडा करते थे ।

06. यह कहना सही है कि आरोपी मृतिका के साथ मारपीट करने के सबंध में बात नहीं बताया था । यह कहना सही है कि मैं आरोपी से मृतिका के घटना के सबंध मे पूछताछ भी नहीं किया था । यह कहना सही है कि मृतिका के घटना के सबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि मृतिका मेरी भतीजी लगती थी जिसकी मृत्यु हो गयी है तथा मुझे दुख है ।

सत्र प्रकरण क्रमांक– 10/2026 शासन –प्रति– केवल सिंह

07. यह कहना सही है कि मैंने आरोपी के विरूद्ध कोई भी रिपोर्ट नहीं किया हू । यह कहना गलत है कि मुझे घटना की सूचना सरपंच पति अंचभित के द्वारा नहीं दिया गया था । यह कहना गलत है कि मृतिका के मृत्यु के दुख के कारण मैं आज आरोपी के विरूद्ध कथन रहा हू ।

समयः 01:40 PM

गवाह को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

(सुमित कुमार हर्षयाना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

(सुमित कुमार हर्षयाना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर .....